



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 3, मंगलवार, शाके 1939-जनवरी 23, 2018
Magha 3, Tuesday, Saka 1939-January 23, 2018

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 23, 2018

एस.ओ.277 :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित उपापन संस्थाओं के समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इसलिये इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 54 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 55 और

उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

55.	विज्ञान केन्द्रों की स्थापना से संबंधित उपापन की विषय वस्तु।	संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, एक स्वायत्त सोसाइटी।	उपापन से पूर्व वित्त विभाग का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जायेगा।
-----	--	--	---

[संख्या एफ.2(1) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मंजू राजपाल,

शासन सचिव।

FINANCE (SPFC) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 23, 2018

S.O.277 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central and the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government and the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendment in this department's notification number F. 1(8)/FD/GF&AR/2011 dated

04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification, after the existing serial number 54 and entries thereto, the following new serial number 55 and entries thereto shall be added, namely:-

"

55.	Subject matter of procurement related to establishment of Science Centres	National Council of Science Museums, an Autonomous society, under the ministry of culture, Govt. of India	Approval of the Finance Department shall be obtained before procurement.
-----	---	---	--

"

[No. F.2(1)/FD/SPFC/2017]
By Order of the Governor,
Manju Rajpal,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.